



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05072022-237071
CG-GJ-E-05072022-237071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ 13, 1944

No. 337]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 1 जुलाई, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./रेग्यु 026.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के नीचे एक परन्तुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु ऐसी किसी इकाई द्वारा, जिसका आशय ऐसे अनुज्ञेय क्रियाकलापों को चलाना है, जो ऐसे ढांचे/विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनके अधीन उसे इससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार, यदि कोई है, मंजूर किया गया था, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: ऐसी इकाई से, जिसने प्राधिकरण द्वारा जारी या अधिसूचित किसी अन्य ढांचे या विनियमों के अधीन

किसी विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त किया है, उसी क्रियाकलाप को चलाने के लिए इन विनियमों के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने की अपेक्षा नहीं होगी यदि वह इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन एक अनुज्ञेय क्रियाकलाप है।”

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में, उप-विनियम (2), (3) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “(2) कोई वित्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम के रूप में या नए रूप में निगमित कंपनी के रूप में या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, स्थापित की जा सकती है:

परन्तु यदि किसी वित्त कंपनी की कोई मूल कंपनी अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में कोई विनियमित वित्तीय क्रियाकलाप चला रही है तो वह आई.एफ.एस.सी. में, जहां कहीं भी लागू हो, कोई वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए अपने गृह देश के विनियामक से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगी।”

“(3) कोई वित्तीय यूनिट तब स्थापित किया जा सकता है यदि आवेदक अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में कोई निगमित इकाई है:

परन्तु इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट कोर क्रियाकलाप करने के लिए कोई वित्त यूनिट केवल तभी स्थापित किया जा सकता है यदि आवेदक, जो कि अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में एक निगमित इकाई है, वित्तीय सेवाओं के कारबार में लगा हुआ है और वह अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक द्वारा विनियमित है तथा उसने गृह विनियामक से आई.एफ.एस.सी. में, जहां कहीं भी लागू हो, एक वित्त यूनिट स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के अधीन आने वाली शर्तें ऐसी निगमित इकाई को लागू नहीं होंगी जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियामक ढांचे के अनुसार खज़ाना(ट्रेज़री) क्रियाकलाप या खज़ाना सेवाएं करने के लिए आई.एफ.एस.सी. में वित्त यूनिट के रूप में वैश्विक(ग्लोबल)/क्षेत्रीय निगमित खज़ाना केन्द्र स्थापित करने की वांछा करती है”

“(5) कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट, जो रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करता है, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा:

(i) ‘वित्त कंपनी’ के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाली आवेदक के पास इन विनियमों के अधीन विभिन्न प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत क्रियाकलाप(क्रियाकलापों) के प्रवर्ग या क्रियाकलापों के संयोजन के आधार पर न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि होगी वह और उसे बनाए रखेगी और इन विनियमों के अधीन अनुसूची में या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी सुसंगत विनियामक ढांचे के अधीन, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टिक क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के प्रवर्ग के लिए विहित न्यूनतम पूंजी या स्वामित्वाधीन निधियों या शुद्ध संपत्ति का उच्चतर बनाए रखेगी।

(ii) यदि आवेदक, जो कि अपने गृह अधिकार-क्षेत्र में एक निगमित इकाई है, कोई ‘वित्त यूनिट’ स्थापित करने और रजिस्टर करने की ईप्सा कर रहा है तो आवेदक इकाई इन विनियमों के अधीन विभिन्न प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) के प्रवर्ग या क्रियाकलापों के संयोजन के आधार पर, हर समय अक्षुण्ण आधार पर न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि देगा और उसे बनाए रखेगा तथा इन विनियमों के अधीन अनुसूची में या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी सुसंगत विनियामक ढांचे के अधीन, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के प्रवर्ग के लिए विहित न्यूनतम पूंजी या स्वामित्वाधीन निधियों या शुद्ध संपत्ति का उच्चतर बनाए रखेगा।”

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में, खंड (i) का लोप किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में, खंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) अनुज्ञात कोर क्रियाकलाप

- (क) उधारों, वचनबद्धताओं और प्रत्याभूतियों, क्रेडिट में वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय पट्टे और पोर्टफोलियों के क्रय और विक्रय के रूप में उधार देना;
- (ख) प्राप्यों की फैक्ट्रिंग और फोरफेटिंग;
- (ग) निवेश करना, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों या ऐसे अन्य लिखतों में, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाएं, अंशदान करना, उन्हें अर्जित करना, धारण करना या उनका अंतरण करना भी है;
- (घ) डेरिवेटिव्स का क्रय या विक्रय करना;
- (ङ) वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट खज़ाना केन्द्र; और
- (च) ऐसा कोई अन्य कोर क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे।”

“(iii) अनुज्ञात गैर-कोर क्रियाकलाप

विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, जहां कहीं भी लागू हो, यथास्थिति, किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट के लिए अनुज्ञात गैर-कोर क्रियाकलापों में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे:

- (क) मर्चेन्ट बैंकिंग;
- (ख) प्राधिकृत व्यक्ति;
- (ग) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता;
- (घ) न्यासी सेवाएं;
- (ङ) निवेश परामर्शी सेवाएं;
- (च) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं;
- (छ) किसी उत्पाद के पट्टे का प्रचालन, जिसके अंतर्गत वायुयान पट्टा, पोत पट्टा या कोई ऐसा अन्य उपस्कर भी है, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;
- (ज) अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा प्लेटफार्म; और
- (झ) वित्तीय उत्पादों का वितरण (जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधि यूनिट और बीमा उत्पाद भी हैं);
- (ञ) आई.एफ.एस.सी. में स्थापित एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के व्यापारिक और समाशोधन सदस्य या व्यावसायिक समाशोधन सदस्य के रूप में कृत्य करना;
- (ट) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समर्थकारी अनुषंगी सेवाओं के लिए ढांचे के अधीन अनुज्ञात आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं;
- (ठ) जब भी प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, अनुज्ञेय क्रियाकलापों के सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना;
- (ड) ग्राहक इंटरफेस अंतर्वलित किए बिना, जैसा कि प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जाए, ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन गैर-कोर क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत है; और
- (ढ) ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप, जो प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन गैर-कोर क्रियाकलाप के रूप में अनुज्ञात और वर्गीकृत करे।”

6. मूल विनियमों के विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) ऐसी किसी वित्त कंपनी या किसी वित्त यूनिट को, जो केवल एक या उससे अधिक गैर-कोर क्रियाकलाप चलाने के लिए रजिस्ट्रीकृत है, उसके सामान्य कारबार प्रचालनों के भागस्वरूप, तरलता और तुलन-पत्र प्रबंधन के

प्रयोजनार्थ निवेश क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और ऐसे निवेश संबंधी क्रियाकलाप को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ कोर क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा।”

7. मूल विनियमों के विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) ऐसी कोई वित्त कंपनी या कोई वित्त यूनिट, जिसका आशय कोई गैर-कोर क्रियाकलाप करना है, प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए यथा-विनिर्दिष्ट संबंधित ढांचे के उपबंधों के अधीन होगा।”

8. मूल विनियमों में, विनियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“10क. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति -

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनके निर्वचन में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणों या परिपत्रों के माध्यम से दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, वित्तीय बाजार के विकास के हित में, ऐसी फीस का, यदि कोई है, संदाय करने पर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगा।”

9. मूल विनियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची

[विनियम 3(1), 3(5)(i) और 3(5)(ii) देखिए]

सं.	क्रियाकलाप	न्यूनतम स्वामित्वाधीन निधि संबंधी अपेक्षा(यू.एस.डी. में या निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय किसी अन्य मुद्रा में समतुल्य रकम)	छूटप्राप्त विनियम, यदि कोई हैं
1	किसी कोर क्रियाकलाप के बिना एक या उससे अधिक केवल गैर-कोर क्रियाकलाप करना।	(1) 0.2 मिलियन अमरीकी डालर या ऐसी किसी रकम में से, जो प्रस्तावित गैर-कोर क्रियाकलाप के लिए, संबंधित ढांचे/विनियम के अधीन उस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने के लिए अपेक्षित हो, उच्चतर; या (2) ऐसी कोई अन्य उच्चतर रकम, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।	निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, विनियम (4) और विनियम (8): (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण नीति रखना (ii) प्राधिकरण द्वारा उपवर्णित उपयुक्त और समुचित मानदंड
2	वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट खज़ाना केन्द्रों के सिवाय गैर-कोर क्रियाकलापों के साथ या उनके बिना एक या उससे अधिक कोर क्रियाकलाप करना।	(1) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोर क्रियाकलापों के लिए 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की न्यूनतम विनियमनकारी पूंजी या ऐसी किसी रकम में से, जो संबंधित ढांचे/विनियम के अधीन उस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए किसी गैर-कोर क्रियाकलाप के लिए अपेक्षित हो, उच्चतर; या (2) ऐसी कोई अन्य उच्चतर रकम, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।	कोई नहीं

3	वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट खज़ाना केन्द्रों के क्रियाकलाप करना।	0.2 मिलियन अमरीकी डॉलर या ऐसी किसी रकम में से, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियामक ढांचे के अधीन अपेक्षित हो, उच्चतर।	निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, विनियम (4): (i) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण नीति रखना (ii) प्राधिकरण द्वारा उपवर्णित उपयुक्त और समुचित मानदंड
---	---	---	---

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III.4/असा./157/2022-23]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु.010 द्वारा तारीख 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें तारीख 12 अप्रैल, 2021 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाना है।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 1st July, 2022

International Financial Services Centres Authority (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG026.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), namely:-

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Principal Regulations a proviso and an explanation shall be inserted under sub-regulation (1) of regulation 3, namely, -

“Provided that a certificate of registration under these regulations shall be required to be obtained by an entity intending to carry out such permissible activities which are not covered under the framework or regulations under which it was previously granted registration or authorisation, if any.”

Explanation: An entity that has obtained a certificate of registration or authorisation for a specific activity under another framework or regulations, issued or notified by the Authority, shall not be required to seek a fresh registration under these regulations for carrying out the same activity, if it is a permissible activity under regulation 5 of these regulations:

- In the Principal Regulations, sub-regulations (2), (3) and (5) of regulation 3 shall be substituted by the following, namely,-

“(2) A Finance Company can be set up either as a subsidiary or a joint venture, or as a newly incorporated company under the Companies Act, 2013, or in any other form as may be specified by the Authority from time to time,

Provided that if the parent of a Finance Company is carrying out a regulated financial activity in its home jurisdiction, it shall obtain a No-objection Certificate from its home country regulator for setting up a Finance Company in the IFSCs, wherever applicable.”

“(3) A Finance Unit can be set up if the applicant is an incorporated entity in its home jurisdiction.

Provided that a Finance Unit can be set up for undertaking core activities as specified in these regulations only if the applicant, being an incorporated entity in its home jurisdiction, is engaged in the business of financial services and is regulated by a financial sector regulator in its home jurisdiction and has obtained a No-Objection Certificate from the home regulator for setting up a Finance Unit in the IFSCs, wherever applicable.”

Provided further that the conditions under the above proviso shall not apply to an incorporated entity which desires to set up a Global/Regional Corporate Treasury Centre as a Finance Unit in the IFSCs for undertaking treasury activities or treasury services in accordance with the relevant regulatory framework specified by the Authority.

“(5) A Finance Company or a Finance Unit seeking registration shall comply with following conditions:

(i) The applicant seeking registration as a ‘Finance Company’ shall have and maintain minimum owned fund, depending on the category of activity(ies) or a combination of activities classified under different categories under these regulations, and shall maintain the higher of the minimum capital or owned funds or net worth prescribed for each activity or category of activities specified in Schedule under these regulations or under any of the relevant regulatory framework issued by the Authority, as applicable.

(ii) In case the applicant, being an incorporated entity in its home jurisdiction, is seeking to set up and register a ‘Finance Unit’, it shall provide and maintain minimum owned fund on unimpaired basis at all times, depending on the category of activity(ies) or a combination of activities classified under different categories under these regulations, and shall maintain the higher of the minimum capital or owned funds or net worth prescribed for each activity or category of activities specified in Schedule under these regulations or under any of the relevant regulatory framework issued by the Authority, as applicable.”

4. In the Principal Regulations, clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 5 shall be omitted.

5. In the Principal Regulations, clause (ii) and (iii) of sub-regulation (1) of regulation 5 shall be substituted by the following, namely, -

“(ii) Permitted Core Activities

- (a) Lend in the form of loans, commitments and guarantees, credit enhancement, securitisation, financial lease, and sale and purchase of portfolios;
- (b) Factoring and forfaiting of receivables;
- (c) Undertake investments, including subscribing, acquiring, holding, or transferring securities or such other instruments, as may be permitted by the Authority;
- (d) Buy or Sell derivatives;
- (e) Global/Regional Corporate Treasury Centres; and
- (f) Any other core activity as may be permitted by the Authority.”

“(iii) Permitted Non-core Activities

Subject to specific registration requirements, wherever applicable, permitted non-core activities for a Finance Company or a Finance Unit, as the case may be, shall include following activities:

- (a) Merchant Banking;
- (b) Authorised person;
- (c) Registrar and Share Transfer Agent;
- (d) Trusteeship Services;

- (e) Investment Advisory Services;
- (f) Portfolio Management Services;
- (g) Operating lease of any products, including aircraft lease, ship lease or any other equipment as may be specified by the Authority from time to time;
- (h) International Trade Financing Services Platform;
- (i) Distribution of financial products (including mutual fund units and insurance products);
- (j) Function as trading and clearing members or professional clearing member of exchanges and clearing corporations set up in IFSCs;
- (k) Asset Management support services permitted under the Framework for Enabling Ancillary Services as specified by the Authority;
- (l) Undertaking to act as facilitators of permissible activities as and when permitted by the Authority;
- (m) Any other activity without involving a customer interface, as may be permitted with the prior approval of the Authority, that is classified as a non-core activity by the Authority, under these regulations; and
- (n) any other activity, as may be permitted and classified as a non-core activity by the Authority, under these regulations.”

6. In the Principal Regulations, sub-regulation (2) of regulation 5 shall be substituted by the following, namely, -

“(2) A Finance Company or a Finance Unit registered for carrying out one or more non-core activities only, may be permitted to undertake investment activities for the purpose of liquidity and balance sheet management as part of its normal business operations and such investment activity shall not be treated as core activity for the purpose of these regulations.”

7. In the Principal Regulations, after sub-regulation 3 of regulation 5 the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(3A) A Finance Company or a Finance Unit intending to undertake any of the non-core activity (ies) shall be subject to the provisions of the respective framework as specified by the Authority for that particular activity.”

8. In the Principal Regulations, after regulation 10 the following regulation shall be inserted, namely, -

“10A. Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations

- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.
- (2) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, upon payment of fee, if any, as may be specified by the Authority.”

9. In the Principal Regulations, the Schedule shall be substituted by the following, namely, -

SCHEDULE

[See regulation 3(1), 3(5)(i) and 3(5)(ii)]

No.	Activity	Minimum Owned Fund Requirement (in USD or equivalent amount in any other freely convertible currency)	Exempted Regulations, if any
1	Undertaking one or more of the non-core activities only – without any core	(1) Higher of USD 0.2 million or any such amount as may be required to seek specific registration for a proposed non-core activity	Regulation (4) and Regulation (8) subject to the

	activity(ies).	under the respective Framework/ Regulation for that particular activity; or (2) Any higher amount as may be specified by the Authority.	following: (i) To have a Board approved prudential policy (ii) Fit and Proper criteria set out by the Authority.
2	Undertaking one or more core activities with or without non-core activities, except for Global/Regional Corporate Treasury Centres	(1) Higher of USD 3 million, minimum regulatory capital for core activities as specified by the Authority; or any such amount as may be required for a non-core activity(ies) under the respective Framework/Regulation for that particular activity; or (2) Any higher amount as may be specified by the authority.	None
3	Undertaking activities of Global/Regional Corporate Treasury Centres.	Higher of USD 0.2 million or any such amount as may be required under the relevant regulatory framework specified by the Authority.	Regulation (4) subject to the following: (i) To have a Board approved prudential policy (ii) Fit and Proper criteria set out by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./157/2022-23]

Note:

The International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG010 on 25th March 2021, read with Corrigendum dated 12th April, 2021.